Volume: 4 Issue: 6 Pages: 18-20

पश्चिम निमाड़ में जनजातिय समाज की परम्पराओं का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

[*1] डॉ. राखी कौशल

[*1] पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (PDF Scholar), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरूणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 20/ May/2025
Accepted: 03/June/2025

***Corresponding Author**
डॉ. राखी कौशल
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (PDF Scholar), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरूणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली, भारत।

सारांश:
देश का शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा जिसमें मध्यप्रदेश की तरह 46 आदिम जातियां और 9 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हों। प्रदेश की कुल आबादी में भी उनका लगभग एक चैथाई हिस्सा है। आबादी के इस बड़े हिस्से को उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। आजादी के बाद परिदृश्य बदला भारत के संविधान में व्यक्त सामाजिक न्याय के संकल्प ने अनुसूचित जनजातियों को 'समता के अधिकार' से सम्पन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिये है। इनसायक्लोपिडिया शब्दकोश के अनुसार इस अंग्रेज़ी शब्द 'ट्राईब के पांच अलग-अलग अर्थ हैं, जो निम्न हैं:- इनकी प्रमुख पहचान के अंतर्गत आदिवासियों के समूहों का बर्बर कबीले के रूप में होना। यह शब्द रोमन इतिहास से संबंधित है अर्थात रोमंस के कबीले जिनको जनजाति शब्द के रूप में जाना जाता है। यह शब्द समान विभाजन को दर्शाता है, जो या तो प्राकृतिक या राजनैतिक हो। यह वर्गीकरण की एक इकाई से संबंधित है। यह शब्द बड़ी (ज्यादा) संख्या के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था के आधार पर ही समाज में आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता हैं। जनजातियों का अपना समाज होता हैं। उनकी अपनी संस्कृति तथा परम्पराए होती हैं। इस संस्कृति तथा परम्परा के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था होती हैं। समाज की जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी, उसी के आधार पर समाज की संस्कृति तथा परम्परा का निर्माण तथा विकास होगा।

मुख्य शब्द: आदिम जातियां, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं परंपराएं

प्रस्तावना:

जनजातियों के आर्थिक विभाजन का सीधा तात्पर्य जनजातियों की उन विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं से है जिसे होकर मानव समाज का उद्विकास हुआ है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए हैं। इसी विशिष्टता के कारण जनजातिय समाज का आर्थिक विभाजन किया जाता हैं। भील आदिवासियों के गांव जनसंख्या में छोटे तथा आकार में बड़े होते है जिनमें घर अनियमित रूप से दूर-दूर बसे होते है। ये गांव फलिया में बंटे होते है। एक फलिया के घर अपेक्षाकृत पास-पास होते है परंतु एक फलिया दूसरे फलिया से दूर होता है। सामान्यतः आदिवासी अपने घर अपने-अपने खेतों में बनाते है ताकि खेती का काम आसानी से हो सके और फसल की रखवाली भी की जा सके। एक फलिया जिसमें पटेल रहता है कुछ घना बसा हुआ होता है। अधिकतर गांव 100 से 500 की आबादी वाले पाये जाते है। तड़वी या पटेल जो गांव का मुखिया होता है, सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क रखता है और उनकी सहायता करता है तथा गांव वालों की समस्याएं सुलझाता है। गांव में नत (गौत्र) पटेल भी होता है जो उस गौत्र के सदस्यों के आपसी मामले निपटाता है।

आर्थिक स्तर के आधार पर जनजातियों को पॉच भागो में विभाजित किया जा सकता है-

(अ) खानाबदोश - भोजन संग्राहक तथा चरवाहा
(ब) पहाड़ी ढ़ालों में स्थानान्तरित खेती करने वाले कृषक
(स) पठार तथा पहाड़ की तलहटी में हल से खेती करने वाले कृषक
(द) हिन्दू आर्थिक व्यवस्था के साथ मिल जुलकर कार्य करने वाले कृषक
(इ) वे जनजातिय समूह जिन्होनें पूरी तरह से हिन्दुओं की उच्च स्थिति के साथ अपने को आत्मसात कर लिया।

जनजातिय वर्ग की उपजातियाँ: पश्चिम निमाड़ में मुख्यतः जनजातिय समाज में निम्नलिखित उपजातियों का समावेश मिलता है:-

1. **भील:** भील देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। मध्यप्रदेश में भील जनजाति का दूसरा स्थान है। भीलों का मुख्य निवास प्रदेश के पश्चिमी हिस्से धार, झाबुआ, बड़वानी तथा खरगोन जिले है। मध्यप्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भीलों के कारण जाना जाता हैं। धार, झाबुआ में भीलों की 85 प्रतिशत जनसंख्या

निवास करती हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार झाबुआ में 11,99,413 धार में 9,10,464 तथा खरगोन (बड़वानी) में 12,25,252 भील निवास करते हैं। भीलों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। वर्तमान समय में भील लोगों ने सभ्यता के विकास के साथ-साथ अपने आप को आधुनिकता के ढ़ॉच में ढाल लिया हैं।

2. **भिलाला:** भिलाला मुख्यतः मध्यप्रदेश की पश्चिमी तथा मध्यवर्ती जनजातिय क्षेत्र में निवास करते है। सामान्यतः यह वही क्षेत्र है जहा भील जनजाती पाई जाती है। भिलाला मुख्यतः झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, पाटी, जोबट, धार, ओंकारेश्वर, माण्डव आदि क्षेत्रों में पाये जाते है। इनकी अन्तर जातिया - डमोर, सास्कले, बडौले, सोलंकी, कनासे, तड़ावले, चैहान, भारीये आदि है।
3. **बारेला:** यह भील एवं भीलाले के समान ही एक जाती है। बारेला जाति के अधिकांश लोग पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले के पाटी विकासखण्ड में सर्वाधिक पाये जाते है। इसके अतिरिक्त निवाली परसेमल, वझर, सिलावद,पलसुद आदि इलाको में पाये जाते है। इस जाति के लोग अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए हैं क्योकिं ये लोग अशिक्षित व गरीब होते हैं।

विष्व की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भारत का स्थान

अफ्रीका के बाद भारत दुनिया में ''दूसरा सबसे बड़ा'' आदिवासी जनसंख्या वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। आदिवासी जनसंख्या मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में पुरातन समय से कई गैर आदिवासी समुदायों के साथ रह रही है। मुख्यतः खरगोन, धार, झाबुआ व बड़वानी जिलों में भील, भिलाला, बारेला, पटलिया एवं कई अन्य समूहों को भारत के जनगणना संगठन के द्वारा भील जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है, भिलाला में विवाह, होली के एक माह पूर्व से होने लगते हैं, इसके अलावा गणगौर (मार्च-अप्रेल) में मनाई जाती है इसके बाद से विवाह प्रारंभ होते है जो बैषाख के महीने में आखातीज (अप्रेल-मई) तक जारी रहते हैं इनके साथ पौस (दिसम्बर-जनवरी) एवं जनवरी-फरवरी महीने भी विवाह के लिए पसंद करते हैं। परंतु होली के जलने के बाद से लेकर गणगौर तक विवाह होना समाप्त हो जाता है। भीलाला, बारेला और भील के विवाह के बीच एक स्पष्ट अंतर, यह है कि बारेला और भील में होली के माह में विवाह होना बंद नहीं होते हैं। इस पिछड़ेपन मे जिलो की भौगोलिक स्थिति एंव गावो की बिखरी बसाहट भी एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण आदिवासी परंपरागत रूप से जड़ी बुटियों एवं झाड़ फुक से उपचार करने वाले आदिवासी बड़वो-भुपो मे प्रथम आस्था रखते है, यह यथार्थ है कि इनकी परंपरा मे आज भी स्वास्थ्य संबंधी परेषानी निपटाने का सषक्त माध्यम यही बड़वे बने हुए है। शासन स्तर से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओ का नेटवर्क लगभग सभी गावो मे फैला हुआ है लेकिन चिकित्सको का ग्रामीण क्षेत्रो से अभाव इनमें अरूचि उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में आदिवासियो द्वारा परंपराओ के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। जिले के आदिवासी लोगों के जीवन मे पुरातन से चली आ रही आर्युवेद औषधियो की संगति आज भी जीवंत बनी हुई है।

भील जनजाति में रोग या अस्वस्थता के संबंध में अवधारणा है कि यह एक दैवीय या अलौकिक घटना हैं, इनका मानना है कि व्यक्ति जब रोगग्रस्त होता है, तब उसकी दैनिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है। और वह धीरे-धीरे शारीरिक रूप से स्वयं को पूर्व अवस्था से परिवर्तित महसूस करता हैं उसे लगता है कि उसके भोजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ रही है, इस हेतु वह मुख्य रोग नैदानिक प्रविधियों का उपयोग रोग को पहचानने के लिए करता है। जैसे-

1. **जादुई-धर्मिक प्रविधियॉ:** देव पीढ़ा, चावल/धन का दान, कांसा-थाली विधि, सूपा झाड़ना।
2. **नाड़ी तंत्र प्रविधि:** मस्तिष्क से नीचे की ओर व प्रवाह गति सामान्य से अधिक हो तो आंतरिक रोग प्रविधी होती हैं।
3. **लाक्षणिक प्रविधि:** रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर या विपरीत दिषा में हो, तो बाह्य रोग होता है।

रोग की जानकारी हो जाने के बाद रोग उपचार हेतु भीलों द्वारा देवी-देवताओं से संपर्क करने के साथ, जादू-मंत्र, झाड़- फूंक, वनौषधीय उपचार, प्राणिज एवं खनिज, आदि किसी भी प्रकार से उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं। यह भील जनजाति रोग या अस्वस्थता के मुख्य दो कारण मानते हैं- (1) वातावरणीय कारक, (2) सामाजिक-सांस्कृतिक कारक जिसमें देवी-देवताओं का प्रकोप, टोटका-जादुई क्रिया या नजर लगना, गोत्रा चिन्ह को हानि पहुंचाना, पूर्वजों का नाराज होना, भूत-प्रेत लगना,, नियमों/निषेधों का उल्लंघन आदि शामिल होते हैं। अतः स्वयं द्वारा की गई भूलों को स्वीकार कर भुल सुधारने के लिए पारम्परिक लोक चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे- जादू धर्म आधारित सिरहा के पास जाना, वनौषधि आधारित गुनिया या दवाई, दारू, बिता का उपयोग, हड्डी जोड़ने वाला हाड़जोर औषधि या प्रसव कार्य हेतु दाई/सुईन आदि के पास जाते हैं जो रोग या अस्वस्थता के आधार पर उपचार प्रारंभ कर देते हैं।

वनौषधि संग्रहण तथा औषधीय खुराक एवं मात्रा के सम्बन्ध में भी इनके बड़े रोचक तथ्य है इनके द्वारा वर्ष में एक बार हरेली त्यौहार के दिन जंगलदेव को पीला चावल व महुआ की दारू भेंट कर आमंत्रण दिया जाता हैं, ताकि औषधियां लाभप्रद हो एवं उनकी उपलब्ध्ता वन में हमेशा बनी रही हैं। यह जंगलों से वनौषधियों को प्रायः सुबह के समय पर एवं आवष्यकतानुसार मात्रा में ही लेते हैं ताकि और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो। मान्यता है कि जंगल देव, कुलदेव आदि स्वप्न में आकर कभी-कभी विषिष्ट वनौषधि तथा उसके स्थान आदि का भी बोध कराते हैं। कुछ प्रमुख वनौषधियाँ जो दुर्लभ है या दूर-दराज के क्षेत्रा में उपलब्ध है,उसे कपड़े में बांधकर संग्रहण किया जाता हैं। औषधियों की खुराक एवं मात्रा आयु वर्गानुसार अनुभव व अनुमान पर आधारित होती है।

आदिवासियो का परंपरागत आहार देखने मे शहरी क्षेत्रो से बिल्कुल अलग एवं स्वास्थवर्धक नजर आता है एवं स्थानीय स्तर पर होने वाली बीमारियो के बचाव मे भी लाभप्रद होता है उनके आहार मे प्रयुक्त होने वाली विभिन्न जड़ी-बुटियो का इसमे विशेष महत्व देखाा जा सकता है।

आदिवासियो के आहार मे खाई जाने वाली वनस्पतिया

1. आछाती - पतो की भाजी
2. गोंदी- पत्ते फुल और फल खाते है
3. राजगिरी - भाजी और फली
4. रजान- भाजी और फेली
5. झरकेली - भाजी
6. कडवाडूडी - पत्ते मोगरा
7. कुलयार - पत्ते मोगरा
8. सेंगला - पत्ते मोगरा
9. वालम ककड़ी - फल
10. पुवाडिया - पत्ते की भाजी
11. फाफाड़ा (अबेया) - फली
12. कटला (ककोडा) - फल
13. कुलत्था - दाल
14. भांजवेल - भाजी
15. घटबुरी - फल
16. कुन्दरू - फल

17. तेन्दु - फल
18. काचरा - फल
19. काचरी - फल
20. चैलाई - भाजी
21. खरवडीया - भाजी
22. लालखाटी भिंडी - फल, दाल
23. सफेद खाटी भिंडी - फल, दाल
24. कुन्जरा - भाजी
25. केनिया - भाजी
26. सेवरिया - जड
27. पोपटिया - फल
28. कोयडा - भाजी
29. महुआ - ते ल, फुल
30. चिल भाभरा (बथुआ) - भाजी
31. सेमल - फुल
32. धोलिया - भाजी
33. बॉस - कोपल एवं फुल जैसा भाग
34. दुधी - भाजी
35. छीरी - फुल फल

फल: मकोई, बेल, करोंदा, घटबुरी, तेदु जामुन, सीताफल, आलडा, धमनिया उमिया, अकलि, ताड़, सेमल का बीज एवं खजुर के फल खाते है
कंद मूल: बाज, (सुरण कन्द) क्षीर वाला, खड़बोस की बेल का कन्द
रस: ताड खजुर का रस जब तक मिलता है तब तक पिते है नीम का रस विषेष दिनो मे
अनाज: बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदरी, वही, राला (बाजरा जैसा) गेहूँ पहले नही खाते थे
दाले: मूंग, चैला, उड़द, कुलत्था, मठ, मूंग, चना, तूअर (कम)
आदिवासियों के भोजन में प्रयुक्त होने वाली वनोषधियों पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का उपयोग गंभीर बीमारीयों के उपचार हेतु होता है पारंपरिक आहार का सेवन करने से आदिवासियों में रोगप्रतिरोधन क्षमता सामान्य से अधिक होती है।

निष्कर्ष:

आबादी के इस बड़े हिस्से को उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। आजादी के बाद परिदृश्य बदला भारत के संविधान में व्यक्त सामाजिक न्याय के संकल्प ने अनुसूचित जनजातियों को 'समता के अधिकार' से सम्पन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिये है। उनके शैक्षणिक, पौषणिक एवं आर्थिक उन्नति की योजनाऐं बनाई गई विशेषकर महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के लिए, साथ ही किशोरावस्था को अति महत्वपूर्ण मानते हुए किषोर लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएँ प्रसारित करने की आवश्यकता का अनुभव विश्व स्तर पर किया जाने लगा है। डब्ल्यू एच ओ के अनुसार विष्व में 80 प्रतिषत से अधिक जनसंख्या भारतीय को मिलाकर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक आर्युवेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग अपने रोगों के इलाज के लिए करती है। आदिवासी बड़वो को अपने क्षेत्र मे पाई जाने वाली जड़ी बुटियो तथा औषधि पौधो का न सिर्फ पर्याप्त ज्ञान होता है, बल्कि आर्युवेद की मान्याताओ के अनुरूप ही वे इन वनस्पतियो को औषधियो के रूप मे रोगो पर कुषलता पुर्वक उपयोग भी करते आ रहे। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वनोषधियॉ उस क्षेत्र विषेष मे होने वाले रोगो के अनुसार उपचार के लिए उसी क्षेत्र मे उपलब्ध होती है अर्थात जिस क्षेत्र मे जो रोग प्रायः होते है। उन रोगो की ठीक करने के लिए उन्ही क्षेत्रो मे वह औषधि पर्याप्त मात्रा मे पाई जाति है। इक्कीसवी सदी में निरंतर सषक्त और आत्मनिर्भर शक्तिपुंज के रूप में भारत देष संपूर्ण विष्व पटल पर अपने को स्थापित करने की मनसा तो रखता है। परंतु जब हम मानवता के समक्ष प्रस्तुत असंख्य चुनौतियों पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे अधिक प्रत्यक्ष, सर्वाधिक स्थायी और फिर भी शायद सर्वाधिक उपेक्षित चुनौती ग्रामीण जनजातिय विकास की दिखती है। जिसके विकास के बगैर भारत देष का विकास होना असंभव है।

संदर्भ सूची:

1. अग्रवाल, ए. एण्ड मिश्रा, यू. (1999)- आहार एवं पोषण विज्ञान, ग्यारहवां संस्करण, साहित्य प्रकाषना ।
2. डगलस, जे. डब्ल्यु. बी., रोस, जे. एन. एण्ड स्म्पिसन, एच.आर. (1965)- द रिलेषन बिटविन हाईट एण्ड मेसर्ड एजुकेषनली एबिलिटी इन स्कूल चिल्ड्रन आफ द सेम सोषल क्लास फेमिलि साइज एण्ड स्टेज ऑफ सेक्चुअल डब्लपमेंट, ह्यूमन. बायो ।
3. जैन, आशा (1978) - झाबुआ जिले के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन, पी.एच.डी. थीसिस, देवीअहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
4. सक्सेना, आर. (1996) - ट्राईबल न्यूट्रीशन-सम रिफलेक्शंस, न्यूट्रीशन, 30: 2, पृष्ठ संख्या 15-23 ।
5. सविता, सी.बी., खैरून्निसा, बी. एण्ड सरस्वती, जी. (1994) - प्रिवलेंस ऑफ एनिमिया इन एडोलिसेंट गर्ल्स रिसाईडिंग इन स्लम एरियास ऑफ मैसुर सीटी, एब्स्ट्रेक्ट आॅफ सांईटीफिक सेशन्स ऑफ न्यूट्रीशन सोसायटी आॅफ इण्डिया, हैदराबाद ।
6. सांख्यिकीय प्रोफाईल राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान (1992) - न्यूट्रीशन न्यूज, हैदराबाद ।
7. टनर, जे.एम. (1962) ग्रोथ एट एडोलिसेंट ब्लेकवेल सांइटिफिक पब्लिकेशन, इडीनबर्ग, पी.आई. ।